7. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के क्षेत्र में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक अनुसन्धान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में 14 अनुसंधान योजनाएं अर्थात् 8 आपरेशन अनुसन्धान के लिए और 6 मलेरिया के प्रयोगशाला अनुसंधान के लिए आरम्भ की गई हैं।

8. ब्लड स्मीयरों का तत्काल परीक्षण तथा सक्रिय रोगियों पर तत्काल इलाज करने के लिए प्रयोगशाला सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

9. प्लासमीडियन फल्सीफेरम के संक्रमण को, जिसके कारण मस्तिष्कीय मलेरिया हो जाने से मौत हो जाती है, फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के 18 जिलों में सघन कार्यक्रम आरम्भ कर दिए गये हैं। यह कार्यक्रम 37 और जिलों में चालू किया जा रहा है।

10. रोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए और इसके नियंत्रण के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) क्लोरोक्विन की गोलियों के वितरण के लिए पंचायतों और स्कूल अध्यापकों को शामिल किया गया है।

(2) दूर-दराज वाले पिछड़े क्षेत्रों में दवाइयों के डिपुओं को खोल दिया गया है। कुछ राज्यों में यह कार्य जनजाति कल्याण विभाग के सहयोग से किया गया है।

(3) "दि फाईट" नामक एक फिल्म जो हाल ही में तैयार की गई थी उसे चौदह क्षेत्रीय भाषाओं में सारे देश में दिखाया जा रहा है।

(4) इस आशय के पोस्टर "बुखार—मलेरिया हो सकता है—क्लोरोक्विन गोलियां लीजिए" पंचायतघरों, स्कूलों, प्राइमरी हैल्थ सैंटरों और सब सब-सैंटरों में प्रदर्शित करने हेतु राज्य सरकारों को सप्लाई किए गए हैं।

(5) क्षेत्रीय भाषाओं में "मलेरिया में क्या-क्या करना चाहिए" नामक एक पैम्पलेट भी तैयार किया गया है, जिसमें मलेरिया के लक्षणों, क्लोरोक्विन की मात्रा, आदि का उल्लेख है और उसे पंचायतों, स्कूलों अध्यापकों और अन्य स्वैच्छिक एजेंसियों में वितरित करने के लिए राज्यों को सप्लाई किया गया है।

(6) पंचायतों के अध्यक्षों और मंत्रियों को मलेरिया के बारे में विषय-परिचायक प्रशिक्षण देने का भी विचार है।

(7) चिकित्सा व्यावसायिकों के क्या-क्या कार्य होने चाहिएं, इसके बारे में भी फोल्डर तैयार करके राज्यों को सप्लाई किए गए हैं ताकि वे उन्हें चिकित्सा व्यावसायिकों में बांट दें। इसी प्रकार एक और पैम्पलेट "मलेरिया फिर क्यों" ? भी तैयार किया गया है और उसे उपायुक्तों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और खण्ड विकास अधिकारियों में बांटने के लिए राज्यों को सप्लाई कर दिया गया है ताकि उपर्युक्त अधिकारियों को मलेरिया सम्बन्धी मौजूदा समस्याओं और प्रस्तावित कार्यवाई करने के बारे में जानकारी दिलाई जा सके।

(8) मलेरिया-रोधी संदेश का प्रचार करने के लिए डाक और तार विभाग द्वारा विशेष पोस्टर स्टेशनरी रिलीज की गई है।

(9) मलेरिया की रोकथाम तथा इसके इलाज के बारे में लोगों को जानकारी दिलाने के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने भी कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं।

बी० फार्मा और एम० फार्मा के लिए प्रमाणपत्र

4399. श्री विनायक प्रसाद यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् के समान ही, केन्द्रीय फार्मेसी परिषद् को फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अधीन बी० फर्मा और एम० फार्मा के अध्ययन पाठ्यक्रम संचालित करने, परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र देने का सांविधिक अधिकार है ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इतने वर्षों से इसके लिए सांविधिक प्रावधान होने के बावजूद केन्द्रीय फार्मेसी परिषद् को यह अधिकार प्रत्यायोजित न करने के क्या कारण हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।